नम्बर अहकाम हुक्म की गई जारी हुए

.10.2022

पत्रावली पेश हुई।
वादीनी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता उपस्थित।

वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 597, 961/598 रकबा क्रमशः 5.6575, 2.4281 हैक्टेयर के मौजा शिव, तहसील शिव में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 597 में वादीनी का 610/2097 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 1 का 610/2097 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 2 का 610/2097 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 20/699 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 23/233 हिस्सा भूमि आती है। अन्य खेत खसरा नम्बर 961/598 में वादीनी का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 1 का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादीनी संख्या 2 का 3/10, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/10 हिस्सा भूमि आती है। वर्तमान रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुल हुए है। वादीनी द्वारा उक्त आराजी जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से पूर्व खातेदारान् से क्रय कर मौके पर काबिज हुई है। पक्षकारान् के मध्य खेत का आपसी बहामी तौर पर बंटवारा किया हुआ है, लेकिन कानूनी रूप से विभाजन नहीं किया हुआ होने से बरसात के मौसम में कब्जा काश्त को लेकर भंयकर विवाद रहता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीनी को अपने कब्जा काश्त से जबरन बेदखल करने की धमकियां देने पर वादीनी द्वारा अपने हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारीनी होने से वाद का पेश कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स बाउण्ड विभाजन करवाने का वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा ईकबाली जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि का बाई मिट्स बाउण्ड विभाजन करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वर्तमान जमाबंदी अनुसार विभाजन प्रस्ताव बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्परूप स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 597 में वादीनी के खातेदारी हिस्सा 610/2097 व खसरा नम्बर 961/598 में खातेदारी हिस्सा 3/10 में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर बाई मिट्स बाउण्ड बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम को स्वीकार किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद को स्वीकार किया जाकर अपने जबावदावा के साथ प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम अनुसार वादीनी के हिस्से के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 4 के खसरा नम्बर 597 में खातेदारी हिस्सा 23/233 व खसरा नम्बर 961/598 में खातेदारी हिस्सा 3/10 में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर भूमि पृथक किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के जवाबदावा व प्रतिवादी संख्या 4 के जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान् के मध्य हिस्सों बाबत् कोई विवाद नहीं है तथा वर्तमान जमाबंदी में हिस्से भी खुले हुए है। वादीनी के साथ प्रतिवादी संख्या 4 भी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने बाबत् सहमत है। चूंकि पक्षकारों के मध्य हिस्सों

को लेकर कोई विवादित बिन्दु नहीं होने पर विवाद्यक बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि पक्षकारान् के मध्य किसी विशिष्ट भू भाग के संबंध में विभाजन करवाने को लेकर विवाद है तो उभय पक्ष न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पेश होने तक साक्ष्य ओर सबूत से अपना पक्ष/मत साबित करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वादीनी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 4 के काउण्टर क्लेम को प्राथमिक रूप से स्वीकार किये किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 4 का काउण्टर क्लेम प्रारंभिक/प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा शिव के खसरा नम्बर 597 रकबा 5.6575 हैक्टेयर में वादीनी का खातेदारी हिस्सा 610/2097 व प्रतिवादी संख्या 4 का खातेदारी हिस्सा 23/233 तथा खसरा नम्बर 961/598 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में वादीनी व प्रतिवादी संख्या 4 प्रत्येक का खातेदारी हिस्सा 3/10 में भूमि का मौके पर माफिक कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड पृथक कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार शिव को 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क खातेदार मौके पर अदा करेंगे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो।

तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव आईन्दा दिनांक 03.2.23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

03.2.23 — पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 3.3.23 को पेश हो।

03.3.23 — पत्रावली पेश हुई।
उभयपक्ष अधि० अनु०।
पत्रावली वास्ते TDR शिव से विभाजन प्रस्ताव की इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 12.05.23 को पेश हो।

12.05.23 — पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 24.07.23 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.23	प्रार्थिनी स्वयं द्वारा पत्रावली तारीख पेशी पर ली जाकर सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करने पर पत्रावली तलब की जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर शिव में पेश हुई। चूंकि प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा होने का कथन करने पर पत्रावली तारीख पेशी पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रकरण में समस्त खातेदारान् के मध्य अपने-अपने कब्जा स्थान पर राजीनामा होने से पत्रावली को जरिये डिक्री खारिज करने का ~~पेश~~ प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया। अभियान में उपस्थित वादिनी के रिश्तेदारों एवं गांव के मौजीज लोगों द्वारा भी उक्त प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने का कथन स्वीकार किया गया। लिहाजा प्रार्थिनी / वादिनी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली जरिये डिक्री खारिज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद इसी स्टेज पर जरिये डिक्री खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	ध्याई